यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य आर.एम.पी. (पी.जी.) कालेज, नारसन** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य आर.एम.पी. (पी.जी.) कालेज, नारसन** के माह फरवरी 2014 से अगस्त 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजकुमार, ले.प., श्री खुशीराम, व.ले.प. एवं सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2017 से 07.09.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील सिन्हा एवं अरविन्द शर्मा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2014 से 06.03.2014 तक श्री एस.के. त्यागी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2001 से 01/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2014 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सन् 1939 ई. में संस्कृत पाठशाला के रूप में गुरूकुल की स्थापना के साथ नारसन क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में प्रारम्भिक शिक्षा की शुरूआत हुई। उत्तरोत्तर विकास के क्रम में सन् 1958-59 में स्नातक (कृषि) व सन् 1960-61 में स्नातकोत्तर विषय एग्रोनॉमी व कृषि वनस्पति विषयों में ग्रामीण क्षेत्र के पाल्यों के शैक्षणिक विकास हेतु पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है। यह महाविद्यालय पौराणिक नगरी हरिद्वार जिले की तहसील रूड़की के गुरूकुल नारसन क्षेत्र में स्थित है। जो कि एन.एच.58 पर देवभूमि उत्तराखण्ड के प्रवेश द्वार पर स्थित है। जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 274 मी. है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
	स्थापना `	**गैर स्थापना `**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2014-15	-	-	16491359	16491359	-	-	-	-
2015-16	-	-	18286187	18286187	-	-	-	-
2016-17	-	-	3099334	3099334	-	-	-	-
2017till date	-	-	मई 2016 से online		-	-	-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ` **	**प्राप्त ` **	**व्यय अधिक्य (+) ` **	**बचत (-) ` **
----------शून्य----------					

(iii) इकाई को बजट आवंटन (अशासकीय महाविद्यालय होने के कारण शासन से कोई अनुदान (वेतन के अलावा) प्राप्त नहीं होता। कालेज अपने स्वयं के सृजित कोष से संचालित होता है) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड 2. उच्च शिक्षा निदेशक 3. सचिव, 4. प्राचार्य 5. प्रवक्ता संवर्ग 6.शिक्षणेत्तर अधिकारी/कर्मचारी 7. कार्यालय प्रभारी 8. समूह (ग) कर्मचारी 9. समूह (घ) कर्मचारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्राचार्य आर.एम.पी. (पी.जी.) कालेज, नारसन** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य आर.एम.पी. (पी.जी.) कालेज, नारसन** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2014 व 04/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- कॉशन मनी सृजित कोष से विगत 05 वर्षों में रू. 6.15 लाख का आहरण तथा रखरखाव नियमानुसार नहीं पाया गया।

शासनादेश सं. 5125 दिनांक 10.07.86 जो वर्तमान में उत्तराखण्ड में प्रभावी है, में की गयी व्यवस्था के बिन्दु सं. 05 व 06 के अनुसार

- यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोड़नेके 03 वर्ष पश्चात तक अपनी कॉशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नहीं देता है तो यह राशि व्यपगत (लैप्स) कर दी जायेगी।
- यदि किन्ही कारणों से किसी छात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बचत 03 वर्ष तक बनी रहती है, तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिस पर कॉलेज की प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य, आर.एम.पी. (पी.जी.) कॉलेज गुरूकुल नारसन (हरिद्वार) की अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 के मध्य कॉशन मनी खाता सं. (SBI A/c No. 81248412908) से धनराशि कुल रू. 6.15 लाख इन 05 वर्षों में शासनादेश के विपरीत बिना समिति के प्रस्ताव पारित/प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के अनुमति प्राप्त किये आहरित कर कॉलेज के अन्य प्रयोजन पर व्यय किया गया। उपलब्ध अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत 05 वर्षों से अब तक छात्रों को कोई प्रतिभूति राशि वापस नहीं की गयी। आगे पाया गया कि कालेज विवरणिका में काशन मनी वापसी के उल्लेख के अतिरिक्त छात्रों को निर्धारित समय पर जानकारी में लाने के लिए कालेज द्वारा पृथक से जारी सूचना विषयक अभिलेख लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जो धनराशि आहरित की गयी वह परीक्षा के समापन के लिये ली गयी थी लेकिन उसका समायोजन किया गया है। बार-बार पैसा निकाला गया है, लेकिन वह वापस जमा कर दिया गया है। प्रतिभूति राशि वापसी के संबंध में भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यार्थियों को इस प्रकार के नोटिस दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रतिभूति राशि छात्रों का है, जिसे अन्य प्रयोजन पर व्यय के लिये नियम संगत निदेशक उच्च शिक्षा से प्रत्येक अवसर पर अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी। जब वर्ष दर वर्ष छात्रों द्वारा प्रतिभूति राशि वापस करने का एक भी प्रार्थना पत्र महाविद्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया, तो महाविद्यालय को इस आशय की सूचना समय-समय पर परिचालित करना चाहिए था, ताकि कॉशन मनी की ज्यादा से ज्यादा वापसी सुनिश्चित की जा सके।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- छात्र निधि पंजिका का रखरखाव निरीक्षण के अनुरूप नहीं पाया जाना तथा रू. 3.84 लाख का आहरण नियम संगत नहीं पाया जाना।

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों से ली जाने वाली छात्र निधियों से संबंधित शासनादेश सं. 5125/15-11-86 4ए (45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु सं. 04 के अनुसार छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नहीं लिया जायेगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये वसूल की गई है। जिसे कालेज की प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त निदेशक उच्च शिक्षा की अनुमति से व्यय किया जायेगा।

जांच में वर्ष के दौरान निम्न अंकित निधियों से धनराशि आहरित की गयी।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	आहरित धनराशि
1.	विज्ञान	34177
2.	पुस्तकालय	13362
3.	पुस्तकालय प्रतिभूति	122500
4.	क्रीड़ा	213896
कुल योग		**383935**

जिसे बिना निदेशक उच्च शिक्षा के अनुमोदन के व्यय किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि लेखापरीक्षा में समस्त प्रयोजनों पर किये गये व्यय से संबंधित कैश बुक अवलोकित कराया गया। भविष्य में पंजिकाओं का रखरखाव किया जायेगा। भविष्य में धनराशि आहरित करने के पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक के अनुमति ली जायेगी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- वित्तीय नियमावली के प्रतिकूल रू. 5.40 लाख का व्यय का प्रकरण पाया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम-43 (विभाग द्वारा स्वयं संनिर्माण की प्रक्रिया) के अनुसार यदि किसी विभाग द्वारा स्वयं किसी कार्य को किये जाने का निर्णय लिया जाय, तब निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जांचः-

(क) सम्पादित किये जाने वाले ऐसे कार्यों पर संबंधित व्यय की विस्तृत प्रक्रिया विभागीय नियमों में वित्त विभाग के परामर्श से बनायी जाये। ऐसे कार्यों के लिए वित्तीय व लेखा के वही नियम होगे जो लोक निर्माण विभाग से समान कार्यों हेतु लागू किये जा रहे हो।

(ख) ऐसे कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन तथा प्राक्कलन तैयार किया जाए।

(ग) कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम अधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

(घ) जिन कार्यों की लागत रू. 5 लाख (पाँच लाख) से अधिक हो उसमें खुली निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाय।

लेखा परीक्षा द्वारा कार्यालय की अभिलेखों की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि महाविद्यालयों में रू. 5 लाख से अधिक का कार्य करवाया गया था। परन्तु महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त वित्तीय नियमावली क,ख,ग व घ का पालन नही किया गया अर्थात महाविद्यालय द्वारा वित्तीय अधिकार नियम का उल्लंघन किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कियेजाने पर महाविद्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में वित्तीय नियमावली को ध्यान में रखते हुए पुनरावृत्ति से बचा जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है, चूँकि वित्तीय का पालन नहीं किया गया है। अतः प्रकरण रू. 5.40 लाख का उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
208/2013-14	-	STAN 01 & 02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
208/2013-14	निर्धारित प्रपत्र में आख्या उचित माध्यम से प्रेषित करने को यूनिट द्वारा कहा गया।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य आर.एम.पी. (पी.जी.) कालेज, नारसन** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	**नाम**	**अवधि**
1.	डा. बी.एल. कुशवाह	05.09.2009 से लेखापरीक्षा तिथि तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य आर.एम.पी. (पी.जी.) कालेज, नारसन** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र